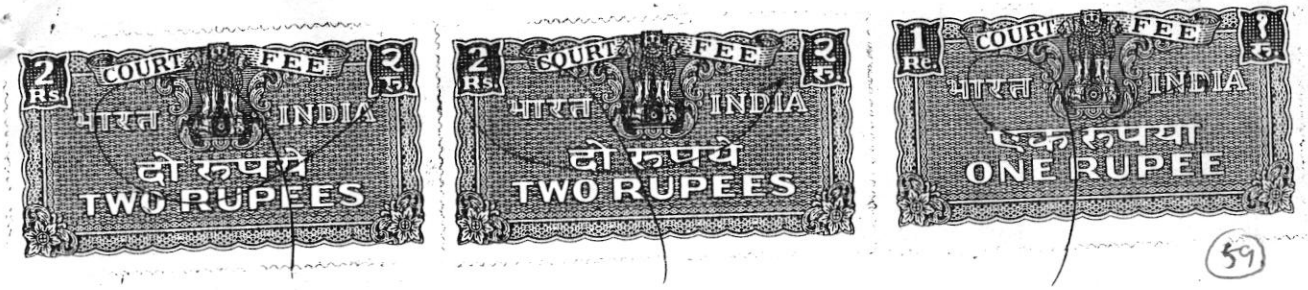

(59)

म0प्र0शासन

विविध 9185/मी-116 शहडोल

बनाम

कुंवर मानधाता सिंह आत्मज डॉ0इन्द्र बहादुर सिंह---- धारक/अनावेदक

| |
|---|
| म0प्र0 सीलिंग अधिनियम 1960 के अंतर्गत कार्यवाही· |
| प्रार्थना पत्र सीलिंग प्रकरण में माननीय म0प्र0 राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 10.10.67 के संबंध में |

मान्यवर,

धारक /अनावेदक मानधाता सिंह का निम्न लिखित निवेदन है :-

1. यह कि उपरोक्त मामला इस न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में कम्पीटेण्ट एथार्टी कलेक्टर शहडोल म0प्र0 सीलिंग अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत थे जिनके द्वारा गैर कानूनी आदेश प्रदान करने के कारण धारक द्वारा माननीय आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी जो अतिरिक्त कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा निरस्त कर दी गई थी उसके विरूद्ध धारक के द्वारा माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर के समक्ष राजस्व निगरानी प्रस्तुत की गई थी जिसका निराकरण दिनांक 10.10.67 को हुआ । राजस्व मंडल द्वारा धारक की निगरानी दिनांक 10.10.67 को स्वीकार की जाकर प्रकरण कम्पीटेण्ट एथार्टी (कलेक्टर शहडोल) को रिमाण्ड कर निर्णय में दिये निर्देश के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश प्रदान किया था।

2. यह कि राजस्व मंडल ने अपने निर्णय में एग्रीकल्चर और लैण्ड तथा सीलिंग अधिनियम भूमि के संबंध में दिये गये परिभाषाओं का विस्तार से विवेचना किया है तथा मामले में यह पाया गया था कि जंगल भूमि और तालाब की भूमि के संबंध में मनमाना निर्णय लिया गया हे और धारक के द्वारा जो भूमि विक्रय की गई है उन भूमियों को भी शामिल कर कार्यवाही की गई है तथा ऐसे क्रेताओं को नोटिस देकर तथा साक्ष्य ग्रहण कर उस पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

3. यह कि बोर्ड आफ रेवन्यू के द्वारा धारा 35 धारा 4 और 5 को ध्यान में रखते हुए धारा 35 की उपधारा 1,2,3 और धारा 4 तथा 5 से संबंधित किसी प्रकार की कार्यवाही न करने के संबंध में तथा बाग

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक विविध 9185–दो/2016 जिला शहडोल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| २१–12–2016 | आवेदक शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।<br>2/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने अपने पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 02/बी–90(3)/2015–16 एवं प्रकरण कमांक 01/बी–90(3)/2015–16 म0प्र0 शासन बनाम इन्द्रबहादुर सिंह को पुनर्विलोकन में लिये जाने हेतु इस न्यायालय प्रकरण प्रेषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त रीवा जिन प्रकरणों में पुनर्विलोकन अनुमति चाह रहे हैं अपर आयुक्त के उक्त प्रकरणों के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 2072–दो/2016 एवं 2071–दो/2016 लंबित है जिसमें अपर आयुक्त के आदेश को चुनौती दी गई है एवं अपर आयुक्त के उपरोक्त अभिलेखों की आवश्यकता भी है। चूंकि इस न्यायालय में पूर्व से निगरानी प्रचलित है ऐसी दशा में पुनर्विलोकन की अनुमति दिया जाना विधि की मंशा के विपरीत होगा क्योंकि जब वरिष्ठ न्यायालय में उसी प्रकरण एवं आदेश को चुनौती दी गई हो, तब अधीनस्थ न्यायालय में तत्समय किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही विधिअनुकूल नहीं कही जा सकती। जहां तक आयुक्त को दिये अभ्यावेदन का प्रश्न है संबंधित पक्षकार सक्षम न्यायालय में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है परन्तु विधि के विपरीत सक्षम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य | |

न्यायालय से किसी पक्षकार को लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन अनुमति संबंधी आवेदन निरस्त किया जाता है। निगरानी प्रकरण कमांक 2072–दो/2016 एवं 2071–दो/2016 के निराकरण में में अपर आयुक्त रीवा के वांछित प्रकरण कमांक 02/बी–90(3)/2015–16 एवं प्रकरण कमांक 01/बी–90(3)/2015–16 की आवश्यकता होने से इसी न्यायालय में रोके जाते हैं। इस आदेश की प्रति अपर आयुक्त को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य